राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–ई–18/एम/डीपीसी/स0प्र0अ0/2019/ दिनांकः–

आदेश

एस0बी0 सिविल रिट संख्या 18694/18 श्री घनश्याम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 27.08.18 के निर्देशन में श्री घनश्याम शर्मा वरिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर ने अभ्यावेदन दिनांक 18.09.18 को प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा डीपीसी वर्ष 2017–18 में वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद पर की गई पदौन्नति से वंचित रखे जाने को विधि/नियम विरूद्व बताया है।

उक्त वर्णित याचिका का निस्तारित करते हुये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा दिनांक 27.08.18 को आदेश पारित किया गया जिसका ऑपरेटिव पार्ट निम्नप्रकार है:–

In case, a representation is so addressed within the aforesaid period, the State respondents are directed to consider and decide the same by a reasoned and speaking order as expeditiously as possible in accordance with law. However in no case later than Two months from the date of receipt of the representation along with a certified copy of this order.

निदेशालय के आदेश कमांक 127 दिनांक 23.02.18 द्वारा वरिष्ठ सहायक (गैर अनुसूचित क्षेत्र) की दिनांक 01.04.16 की स्थिति में अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया गया जिसके कम संख्या 158 पर श्री घनश्याम शर्मा जिनकी जन्मतिथि 03.06.73 है, का नाम दर्ज किया गया। सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद पर वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्व चयन हेतु आयोजित विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक दिनांक 22.03.18 को आयोजित हुई, इससे पूर्व जोन ऑफ कन्सीडरेशन में आने वाले कर्मचारियों की विभागीय जांच की स्थिति देखने पर ज्ञात हुआ कि याची श्री घनश्याम शर्मा, वरिष्ठ सहायक के विरूद्व निदेशालय स्तर पर विभागीय जांच लम्बित है, एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर में अपराध संख्या 86/2004 दर्ज है, जिसके आधार पर याची/कर्मचारी के विरूद्व अपराधिक केस भी दर्ज है, इस कारण नियमानुसार विभागीय पदौन्नति समिति द्वारा श्री घनश्याम शर्मा, वरिष्ठ सहायक का सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदौन्नति हेतु चयन किया गया, किन्तु इनके विरूद्व विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण इनके चयन पर विचार करते हुये लिफाफा बन्द किया गया। अतः याची के पदौन्नति प्रकरण पर विचार किया जाना नियमोन्तर्गत प्रतीत नही होता है। विभागीय जांच के समाप्त होने अथवा दण्डादेश दिये जाने की स्थिति में प्रकरण पुनः विभागीय पदौन्नति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.18 याची/कर्मचारी के विरूद्व विचाराधीन अपराधिक प्रकरण एवं निदेशालय में उपलब्ध विभागीय जांच से संबंधित पत्रावली व विद्यमान नियमों का गहनता से अवलोकन किया गया जिसके आधार पर डीपीसी वर्ष 2017–18 में याची/कर्मचारी की पदौन्नति वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर किया जाना नियमोन्तर्गत नही पाया गया। इस आधार पर माननीय न्यायालय के निर्देशन में याची/कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 18.09.18 स्वीकार योग्य नही है। अतः एतद द्वारा इसे अस्वीकार करते अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0 जयपुर

क्रमांकः–ई–18/एम/डीपीसी/स0प्र0अ0/2019/08 दिनांकः– 17/01/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2– संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन जयपुर।
3– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
4– उप विधि परामर्शी मुख्यालय।
5– श्री घनश्याम शर्मा, वरिष्ठ सहायक, को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6– प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करावे।
7– आदेश/रक्षित पत्रावली ।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)